न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 22/2024 राजस्व अपील
गिरधारी पुत्र भोलू जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मंडावर जिला दौसा
.....अपीलांट

बनाम

1. बिशनलाल पु भोंरया जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मंडावर जिला दौसा (फोत)
2. कैलाश पुत्र स्व. बिशनलाल
3. शिवराम पुत्र स्व. बिशनलाल
4. शम्भूदयाल पुत्र स्व. बिशनलाल
5. महेन्द्र पुत्र स्व. बिशनलाल
6. बादामी पत्नि स्व. बिशनलाल
7. दान्या पुत्री स्व. बिशनलाल
8. सांवल पुत्र भोलू
9. गुलाब पुत्र भोलू

समस्त जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मंडावर जिला दौसा
.....रेस्पों.

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार मंडावर दिनांक 11.'1.2023 प्रकरण सं0 01/2021 उनवानी प्रकरण बिशनलाल बनाम सांवल वगै0

उपस्थित : 1 श्री मनीष कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट। 1
2. श्री आर0के0मेहरा, श्री शंभूदयाल मीना रेस्पों सं0 2,3,6 व 7

दिनांकः 31.01.2025

—:: निर्णय ::—

1. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 11.1.2023 जो कि उनवानी प्रकरण बिशनलाल बनाम सांवल वगै0 में पारित किया गया है से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अधीनस्थ तहसीलदार मंडावर का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता बिशनलाल पुत्र भौरया ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 102 लगायत 108, 113 लगायत 117, 1250 लगायत 1257, 1259 लगायत 1266 तथा 944 लगायत 947 व 955, 1960, 976 कुल किता 34 कुल रकबा 8.66 है० वाके ग्राम ऊकरून्द तहसील मंडावर में स्थित है। जिसका प्रार्थी हिस्सा 1/4 भाग का एवं 3/4 भाग के खातेदार टिनेन्ट प्रार्थी के भाई बन्ध है। बाहमी बंटवारे में आराजी खसरा नंबर 955/1960 रकबा 0.10 है0 प्रार्थी के हिस्से में है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा [illegible] है। आराजी खसरा नंबर 955/1960 रकबा 0.10 है0 के पास ही अप्रार्थीगण [illegible] आराजी खसरा नंबर 955 है। अप्रार्थीगण की हमेशा यह बदनियति रही [illegible] प्रार्थी [illegible] पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके प्रार्थी को बेदखल [illegible] कर प्रार्थी की जमीन पर अना[illegible] कब्जा करके आपराधिक लाभ प्राप्त करना चाहते है। दि[illegible] 05.11.2017 को अ[illegible] ने प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 955/1960 के दक्षिणी दिशा के कुछ भाग पर जबरदस्ती लठ के बल पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया प्रार्थी को मालूम होते ही जब अपनी आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:17 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

गया तो पाया कि अप्रार्थीगण ने अनाधिकृत कब्जा किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के हाथ जोडकर निवेदन किया कि भाईयो ने आपने तो मेरी काफी जमीन पर अतिचार कर लिया है आपने गलत किया है आप मेरी जमीन पर अतिचार को हटाओं व अप्रार्थीगण उल्टा नाराज हो गये और ऐलानिया धमकी देने लगे कि हम अप्रार्थीगण ने सही किया है तथा ज्यादा नेतागिरी की तो पूरी जमीन पर कब्जा कर लेगें तुम हमारा कुछ नही कर सकते हो। अनाधिकृत कब्जा करके सरसो की फसल काश्त कर ली दिनांक 23.01.2018 को मेरे पुत्र शम्भूदयाल ने अप्रार्थीगण से कहा कि या तो आप और हम मिलकर सीमाज्ञान करवा लेते है या आपने मेरे खेत में जो अतिचार कर रखा है उसे हटा लो तो अप्रार्थीगण ने मेरे पुत्र के साथ झगडा फिसाद व मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट पुलिस को दी गई। पुलिस कार्यवाही के पश्चात अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार कार्यालय मंडावर मे प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों के प्रार्थना पत्र की पालना में दिनांक 10.06.2019 को पटवारी हल्का ऊकरून्द व आई एल आर ने अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 955, 970, 971 व प्रार्थी के खसरा नंबर 955 /1960 का सीमाज्ञान किया व खातेदारी की सीमायें बताई। आदि आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक बिशनलाल के पक्ष में निर्णय व आदेश पारित किया है जबकि बिशनलाल की मृत्यु दिनांक 07.06.2022 को हो गई परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उनके कायम मुकामान का न तो प्रार्थना पत्र लिया और न ही कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया बल्कि अवैधानिक तरीके से मृतक बिशनलाल के पक्ष में निर्णय व आदेश पारित किया है जो कतई अवैधानिक है क्योंकि कानूनन मृतक व्यक्ति के पक्ष में न तो कोई निर्णय पारित किया जा सकता है और न ही कोई कार्यवाही चल सकती है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण प्रथमतया ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी तथा निर्णय दिनांक 11.01.2023 की पालना में पटवारी हल्का दिनांक 04.07.2024 को कब्जा हटाने गये तब जानकारी हुई तो अपीलान्ट ने दिनांक 05.07. 2024 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 05.07.2024 को प्राप्त हुई इसलिए उक्त अवैधानिक निर्णय के विरूद्ध पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय प्रथम स्तर पर ही इसलिए निरस्तनीय है कि बिशनलाल का स्वर्गवास दिनांक 07.06. 2022 को ही हो गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.01.2023 को फरमाया है निर्णय के दिन बिशनलाल जीवित नहीं था। इसलिए मृत व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई भी निर्णय व आदेश प्रथम स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक बिशनलाल के कायम मुकामान को रिकार्ड पर ही नहीं लिया बल्कि अवैधानिक रूप से मृतक के पक्ष में निर्णय पारित किया है जो प्रथम स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व किसी भी पक्ष की कोई साक्ष्य नहीं ली जिससे मृतक बिशनलाल का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होता। इसलिए भी बिना साक्ष्य [illegible] किया गया निर्णय निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्याया[illegible] ने सुन[illegible] व [illegible]त का कोई पर्याप्त अवसर ही नही दिया जबकि कानूनन पीडित पक्ष [illegible] मौका देकर निर्णय किया जाना चाहिए था, इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पो[illegible]ट संख्या 8 व 9 अपीलान्ट के भाई व परन्तु वे इस वक्त मौजूद न होने के कारण उन्हें दर्शनीय रेस्पोडेन्ट बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कतही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:17 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

...ला कलक्टर, दौसा

अवैधानिक व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2, 3, 6 व 7 ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि के सीमाज्ञान हेतु सभी काश्तकारों ने तहसीलदार मंडवार को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर दिनांक 10.6.2019 को मौका रिपोर्ट बनाई गई। सभी सह खातेदारों ने सीमांकन हेतु न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उपखंड अधिकारी महवा ने दिनांक 29.1.2020 को आदेश पारित किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार मंडावर द्वारा सीमांकन हेतु टीम गठित की गई। उक्त गठित टीम द्वारा दिनांक 20.11.2020 को सीमांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अधीनस्थ तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित निर्णय जो कि उनवानी प्रकरण बिशनलाल बनाम सांवल वगै. में पारित किया गया है पूर्णतया विधिसम्मत है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5- शेष अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6- तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.1.2023 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसका ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है:–

" अतः वाद वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। ग्राम उकरूंद तहसील मंडावर जिला दौसा कमे खसरा नंबर 955/1960 रकबा 0.10है. सा.देह हिस्सा 1/4 कुल किता 1 रकबा 0.10है. भूमि पर 30 मीटर लंबा व 4 मीटर चौडा त्रिभुजाकार हिस्सा खसरा नंबर 955 में दबा हुआ साबित होता है। अतः उक्त हिस्से पर प्रार्थी श्री बिशनलाल पुत्र भोंरया जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मंडावर को कब्जा दिया जाना उचित है।

निर्णय की पालना में अप्रार्थी को बेदखल करने हेतु नायब तहसीलदार मंडावर एवं थानाधिकारी मंडावर को आदेश पत्र जारी हो। नायब तहसीलदार मंडावर आवश्यकता होने पर पयाप्त पुलिस जाब्ता प्राप्त कर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि का कब्जा दिलवाये तथा यदि आवश्यक समझे तो कानून व्यवस्था हेतु उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।"

7- इस प्रकरण में अवगत कराया गया है कि बिशनलाल की मृत्यु दिनांक 7.4.2022 को हो गई थी एवं तहसीलदारं मंडावर के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया था वह दिनांक 7.1.2021 को प्रस्तुत किया गया था अर्थात प्रार्थना पत्र के चलते समय बिशनलाल की मृत्यु हुई जिसकी जनकारी निश्चित रूप से प्रार्थीगण के अधिवक्ता को रही होगी।

8- तहसीलदार मंडावर की नोट शीट दिनांक 29.4.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें बिशनलाल की उपस्थिति पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है जो कि संभव नहीं है क्योंकि बिशनलाल की मृत्यु पूर्व में ही दिनांक 7.4.2022 को हो गई थी।

9- अप्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि हालांकि वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया किन्तु उक्त विवादित खातेदारों के सह खातेदारों के द्वारा सहमति व्यक्ति की गई है कि अतिक्रमी को उक्त खसरे [illegible] बेदखल कर कब्जा संभलाने के संबंध में तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में श्री बिशनलाल के नाम निर्णय पारित किया है जिनका देहान्त पूर्व में ही हो चुका था। ऐसे मे हम यह समझने में असमर्थ है कि किस प्रकार तहसीलदार के आदेश की कियान्विति की जाकर बिशनलाल को कब्जा संभलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:17 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10- अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है कि धारा 183 की के तहत अतिक्रमी के विरूद्ध सह खातेदार द्वारा बिना अन्य सह खातेदारों के पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है सएवं 183 के तहत संक्षिप्त प्रकृति की होती है। किन्तु यह प्रकरण सह खातेदारों को प्रार्थना पत्र में प्रार्थी बनाने अथवा न बनाने से संबंधित न होकर एक मृत प्रार्थी के पक्ष में निर्णय से संबंधित है एवं उसके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया एवं उस मृत व्यक्ति के पक्ष में कब्जा संभलाने के आदेश प्रदान किये गये है जिसकी क्रियान्विति संभव नहीं है।

11- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मंडावर द्वारा दिनांक 7.4.2022 के उपरांत की कार्यवाही (नोट शीट पर दिये गये आदेश एवं दिनांक 11.1.2023 का आदेश) को अपाप्त की जाती है। तहसीलदार मंडावर दिनांक 7.4.2022 से पूर्व की कार्यवाही को यथावत रखते हुए प्रकरण को पुनः दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायें। प्रार्थी एवं अप्रार्थी दिनांक 14.2.2025 को तहसीलदार मंडावर के समक्ष प्रस्तुत हो जिसका निस्तारण तहसीलदार मंडावर द्वारा संभवत 60 दिवस में किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31 जनवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:17 IST
Reason: SelfAttested